भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 5609

26 जुलाई, 2019 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

अननुमोदित दवाओं का विपणन

5609. **श्री [illegible]**
श्री पिनाकी मिश्राः

क्या **स्वास्थ्य** और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करगे किः

(क) क्या कुछ अग्रणी औषधि विनिमाण कम्पनियां औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम म व्याप्त खामियों की आड़ म विभिन्न कम्पनियों द्वारा निर्मित ऐसी दवाओं का विपणन कर रही हो जो मानव उपयोग हेतु अनुमोदित नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विगत कुछ महीनों के दौरान भारतीय औषधि महानियंत्रक और मंत्रालय ने 15 फार्मा कंपनियों पर छापा मारा था और विभिन्न प्रकार के उल्लंघनों के लिए उनको 'कारण बताओ' नोटिस जारी किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन कम्पनियों के नाम क्या हो जिन पर विगत कुछ महीनों के दौरान छापा मारा गया और 'कारण बताओ' नोटिस जारी किए गए;

(घ) क्या इनम से कुछ औषधियां विश्व म कहीं भी मानवीय उपयोग के लिए अनुमोदित नहीं ह, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या कुछ अग्रणी कम्पनियों के परिसरों पर हाल म मारे गए छापे के दौरान विनियामक निरीक्षक ने कच्चे माल प्राप्त किए हो जो इन दवाओं के निमाण म प्रयुक्त होते हो जो वास्तव म खाद्य वस्तु के रूप म चीन से आयात किए गए थे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हो?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (ङ.): केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने पिछले कुछ महीनों म अनेक उत्पादन स्थलों पर छापेमारियां/जांच की ह। की गई जांचों से यह पता चलता है कि दो निमाता सीडीएससीओ के अनुमोदन के बिना नई औषधियों का निमाण कर रहे थे जिनके उत्पादन [illegible] विभिन्न कंपनियों द्वारा बिक्री की जा रही थी, जिसके लिए उन्ह कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे।

तीन निमाता जिनम से एक-एक निमाता दमन और दीव, तमिलनाडु तथा हिमाचल प्रदेश से [illegible] [illegible]न्क[illegible]ामिफान साइट्रेट नामक औषधि के उत्पा[illegible] जो कि विश्व म किसी भी देश म मानव उपयोग के लिए अनुमोदित नहां है।

[illegible] ग्रि[illegible] के रूप म चीन से आयात किया जाता था। औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा [illegible] प्र[illegible]वधानां के तहत उसके खिलाफ कारवाई का गई है।